X समापन टिप्पणियां

10.1 इस रिपोर्ट में सन् 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के पश्चात् भारत में केंद्रीय बैंकिंग के बदलते हुए लक्षणों का वर्णन करने का प्रयास किया गया है। बैंक द्वारा संपादित कार्यों का प्रतिपादन बैंक को सौंपी गई विभिन्न जिम्मेदारियों से हुआ है और बैंक द्वारा किए जाने वाले मुख्य कार्य यथा- नियमन और पर्यवेक्षण, वित्त बाजार मौद्रिक एवं राजकोषीय अंतरापृष्ठ तथा तुलनपत्र की गत्यात्मकता का इस रिपोर्ट में विशेष रूप से वर्णन किया गया है। मुद्रा एवं वित्त रिपोर्ट के पिछले संस्करण (भारतीय रिजर्व बैंक 2005) में मौद्रिक नीति के बदलते आयामों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया था। अन्य केंद्रीय बैंकों की तरह रिजर्व बैंक के संगठनात्मक एवं परिचालन विकास में कार्यात्मक उत्तरदायित्वों की झलक मिलती है जिनकी उत्पत्ति बदलती हुई सामाजिक-आर्थिक एवं राजनैतिक परिस्थितियों में इसके इतिहास के साथ हुई।

10.2 पिछली शताब्दी में सारे विश्व में केंद्रीय बैंकों नें समष्टिगत आर्थिक नीति के निर्माण में उत्तरोत्तर महती भूमिका निभाई तथा वे अपने समक्ष आनेवाली नवीन चुनौतियों से जूझने के लिए लगातार अपनी नीतियों में अभिसंस्कार करते रहे हैं। विशेषत: सन 1997 के दक्षिण-पूर्व एशियाई आर्थिक संकट के बाद मौद्रिक नीति के प्रेषण माध्यमों को सशक्त बनाने के लिए वित्त बाजार तथा उससे संबंधित संस्थाओं के विकास में केंद्रीय बेंकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विकासमान देशों के केंद्रीय बैंक नीति निर्माण की विधा में अत्यधिक परिपक्व हो गए हैं तथा भुगतान प्रणाली और बैंकिंग तकनीक के क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणालियां अपना कर अग्रणी बन गए हैं। वास्तव में अनेक केंद्रीय बैंक विभिन्न प्रकार के उत्तरदायित्व लेकर ऐसी बहुकार्यक्षम संस्था बन गए हैं जो मौद्रिक नीति का संचालन, बैंकिंग प्रणाली का विनियमन एवं पर्यवेक्षण तथा भुगतान एवं निपटान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था में वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने का प्रयास करती हैं। यह जानना रुचिकर होगा कि आरंभकाल में केंद्रीय बैंकिंग अनेक अनौपचारिक नियमों, परंपराओं एवं स्वाधिरोपित आचरणसंहिता के अनुसार अपना कार्य करते थे। इन नियमों, परंपराओं तथा संहिताओं को बाद में कानून के रूप में कूटबद्ध किया गया जिनपर आधुनिक केंद्रीय बैंकिंग का कार्यव्यवहार आधारित है।

10.3 केंद्रीय बैंकों के कार्यों का विकास उनकी अपनी-अपनी वित्तप्रणालियों के समानांतर हुआ तथा उन्होंने मौद्रिक नीति के प्रत्यक्ष साधनों से परोक्ष साधनों के प्रयोग की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की। लेकिन यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि 1990 की दशक की शुरुआत से मौद्रिक नीति के लक्ष्य उत्तरोत्तर केंद्रीभूत, सुस्पष्ट तथा केंद्रीय बैंकों के मूल्य एवं वित्तीय स्थिरता सुनिश्चितता के लक्ष्यों के अनुरूप होते गए हैं।

10.4 हाल के वर्षों में ज्यों-ज्यों नियमन एवं पर्यवेक्षण पर जोर बढ़ता गया है त्यों-त्यों केंद्रीय बैंक वित्तीय स्थिरता पर उत्तरोत्तर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वाणिज्यिक बैंक, सामान्यत: वित्तीय प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, अत: उनका नियमन गैर वित्तीय फर्मों की अपेक्षा ज्यादा कठोर होता है। क्योंकि जनता से जमाराशि उगाहने में वे अन्य फर्मों की तुलना में बेहतर स्थिति में रहते हैं। तीव्र गति से जारी भूमंडलीकरण, वित्तबाजारों के समेकन एवं पूंजी की अबाध गतिशीलता के कारण नियमन का कार्य जोखिम केंद्रित बनता जा रहा है। अनेक केंद्रीय बैंकों द्वारा बासल नियमों, विशेषकर बासल द्वितीय, को अपनाने से नियमन एवं जोखिम प्रबंधन पर न केवल सबका ध्यान केंद्रित हुआ है बल्कि इससे विभिन्न देशों के बैंकों में एकसमान मानकों के प्रसार में मदद मिली है।

10.5 केंद्रीय बैंक विशेषज्ञता के अधिष्ठान बन गए हैं तथा राष्ट्रीय एवं विदेशी सरकारें एवं संस्थाएं उनपर सामान्यतः विशेषज्ञ सलाह के लिए निर्भर करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में केंद्रीय बैंकों की कार्यात्मक भूमिका निधारित करने में आर्थिक अनुसंधान का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अपने कायक्षेत्र में हो रहे निरंतर परिवर्तनों के बावजूद केंद्रीय बैंक वित्तीय प्रणाली में केंद्रीय भूमिका निभा रहे हैं तथा हम यह आशा कर सकते हैं कि वे नीति निर्माण और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते रहेंगे।

I. भारत में केंद्रीय बैंकिंग का विकास

10.6 केंद्रीय बैंक के विकास का कोई सार्वभौम प्रतिमान नहीं है। इसके पर्यावरण में हो रहे लगातार परिवर्तनों के कारण भारतीय रिजर्व बैंक का अनवरत कायापलट होता रहा है तथा स्पष्टत: भिन्न सरकारों के साथ बैंक ने सफलतापूर्वक अपने उत्तरदायित्व को निभाया है। स्थापना के बाद से ही बैंक की विकास यात्रा में परिवर्तन ही एक मात्र स्थिर वस्तु रही है। हालांकि बैंक की स्थापना औपनिवेशिक सरकार द्वारा पारित एक अधिनियम के अधीन की गई थी तथा बैंक औपनिवेशिक सरकार के नियंत्रण के काम करता था तथापि अपने प्रारंभिक काल में बैंक एक निजी संस्था था। प्रारंभ में बैंक का केंद्रीय कार्यालय कलकत्ता में स्थापित

किया गया था जिसे दिसंबर 1937 में स्थायी रूप से आर्थिक राजधानी बंबई स्थानांतरित की गई। निर्गम और बैंकिंग विभागों की स्थापना करना बैंक का विधिक उत्तरदायित्व था अत: इन विभागों की स्थापना बैंक की स्थापना के साथ ही की गई। विभिन्न आर्थिक परिस्थितियों एवं राजनैतिक हालात में बैंक को सौंपे गए उत्तरदायित्वों के निर्वाह हेतु समय-समय पर अन्य विभागों की स्थापना की गई।

10.7 स्वतंत्रता के बाद बैंक की विकास यात्रा का महत्वपूर्ण लक्षण घरेलू आवश्यकताओं तथा अनिवार्यताओं की पूर्ति करने तथा सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय व्यवहारों को लागू करने के बीच के विरोधाभासों को पाटने में दिखाई गई लोच है। दशकों के दौरान केंद्रीय बैंकिंग कार्यों में आए परिवर्तन को विभिन्न चरणों में दर्शाया जा सकता है। शुरुआती वर्षों में नोट निर्गम तथा सरकार का बैंकर होना बैंक के मुख्य कार्य थे। बैंक सरकार को बहुत सी सेवाएं प्रदान करता था, युद्ध के लिए धन उपलब्ध कराता था, मुद्रा विनिमय का नियंत्रण करता था। बैंक ने औपनिवेशिक सरकार से स्वतंत्र भारत के मुद्रा प्रबंधन का सुचारु संक्रमण सुनिश्चित किया। प्रारंभिक दौर में बैंक अर्थव्यवस्था में केवल ऋण की मांग एवं आपूर्ति का नियमन करता था तथा औपचारिक मौद्रिक नीति की घोषणा नहीं करता था। बैंक दर, मुक्तबाजार परिचालन और आरक्षी अनुपात ऋण उपलब्धता को नियंत्रित करने के मुख्य साधन थे। सन 1949 में अनेक बैंकों के असफल होने के परिप्रेक्ष्य में बनाए गए बैंकिंग नियमन अधिनियम और भारतीय रिजर्व बैंक के राष्ट्रीकरण के बाद बैंक की नियामक एवं पर्यवेक्षी भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया गया।

10.8 एक विकासशील देश के केंद्रीय बैंक के रूप में रिज़र्व बैंक के कार्यक्षेत्र पर सदियों से जारी औपनिवेशिक शासन के कारण लगे नियंत्रण समाप्त हो गए तथा पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत से, योजना के वित्तपोषण एवं बचत और निवेश को प्रोत्साहन देने वाली संस्थाओं के संस्थापन में बैंक की भूमिका से, बैंक के कार्य अधिक विविधतापूर्ण बन गए। रिजर्व बैंक से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह अर्थव्यवस्था को वृद्धि की राह पर अग्रसर करने का प्रयास कर रही सरकार के समक्ष आनेवाले संसाधनाभाव का वित्तपोषण करे। राजकोषीय घाटे के स्वत:मुद्रीकरण की नीति, जिसके प्रभाव से मौद्रिक नीति का असर कम हो जाता है, सन् 1955 में शुरु की गई तथा सन् 1994 तक इसका खूब प्रयोग किया गया। 1960 तथा 1970 के दशकों में, कमजोर वित्तीय प्रणाली तथा अविकसित वाणिज्यिक बैंक नेटवर्क के परिप्रेक्ष्य में संस्थाविकास का कार्य बहुत महत्वपूर्ण बन गया। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रविशेष के विकास के लिए विशेष विकास संस्थाओं की स्थापना की गई। इसके उत्तरवर्ती विकासकाल की मुख्य घटनाओं में बैंकों का राष्ट्रीकरण एवं निदेशित प्राथमिक क्षेत्र उधार शामिल है तथा इस काल में अर्थव्यवस्था में अनेक नियंत्रणों एवं नियमनों का बोलबाला था।

10.9 1980 के दशक में मौद्रिक नीति पर विशेष ध्यान दिया गया। अर्थक्षम स्थानों सहित बैंकिंग नेटवर्क के भौगोलिक विस्तार, ऋण का क्षेत्रीय आबंटन, उच्च आरक्षी अनुपात तथा कुछ क्षेत्रों में रियायती ब्याज दरों के के कारण बैंक की आस्तियों की गुणवत्ता एवं लाभप्रदता पर बुरा प्रभाव पड़ा। राजकोषीय घाटे के मुद्रीकरण के उच्चस्तर, सरकार द्वारा बाजार से गैर बाजार दरों पर उधार लेने तथा प्रशासित ब्याज दरों के कारण वित्तास्तियों के बाजार का विकास धीमा रहा। वित्तबाजार की कमविकसित अवस्था से नीतिसंकेतों के संप्रेषण पर बुरा असर पड़ा।

10.10 1990 के दशक में अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की प्रक्रिया के दौरान रिजर्व बैंक के कार्यों में कई नए आयाम जुड़ गए। वित्तबाजार में लाए गए सुधारों के परिप्रेक्ष्य में मौद्रिक नीति के ढ़ांचे में समायोजन किया गया एवं पारंपरिक केंद्रीय बैंक कार्यों को पुनर्नवीकृत किया गया तथा उनका भूमंडलीय व्यवहार, तकनीकी विकास तथा घरेलू आवश्यकताओं के साथ सामंजस्य किया गया। सुधारों के प्रथम चरण में बैंकिंग उद्योग की मुक्ति, प्रूडेंशियल नोर्म्स को लागू करके बैंकिंग, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एवं वित्तीय संस्थाओं के ढ़ांचे के सुदृढ़ीकरण तथा भुगतान और निपटान प्रणाली में सुधार पर ध्यान दिया गया। दूसरे चरण में चरणबध्द तरीके से वित्तप्रणाली में प्रूडेंशियल नोर्म्स को अपनाकर अंतरराष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने पर जोर दिया गया।

10.11 सुधारों के प्रारंभिक वर्षों में वित्तीय प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए रिज़र्व बैंक ने कई नवोन्मेषी उपाय किए। ब्याजदरों की मुक्ति, आरक्षी अनुपातों में कमी एवं उनको युक्तिसंगत बनाना, राजकोषीय घाटे के स्वत:मुद्रीकरण की समाप्ति, बैंक दर को सक्रिय करना, तथा मौद्रिक नीति के अप्रत्यक्ष साधनों, विशेषत: दैनंदिन तौर पर लिक्विड़िटी को नियंत्रण करने के लिए लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फेसिलिटी इनमें प्रमुख हैं। हालांकि एक दिवसीय ब्याजदरों का कोई औपचारिक लक्ष्यांक नहीं है तथापि लिक्विड़िटी एडजस्टमेंट फेसिलिटी की सहायता से रिज़र्व बैंक बैंक आरक्षी अनुपातों का लक्ष्य रखने की आवश्यकता को कम करके ब्याजदर की घटबढ़ सीमा सुनिश्चित करने पर अधिक ध्यान देने में सक्षम हुआ है। सुधारों को सामान्यत: क्रमिक रूप से तथा विभिन्न तकनीकी समितियों तथा उपदलों के माध्यम से बाजार भागीदारों, नीति-निर्माताओं, अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों और शिक्षा क्षेत्र के विद्वानों के साथ व्यापक विचारविमर्श के बाद लागू किया गया है।

10.12 मुद्रा नीति की संरचना के परिप्रेक्ष्य में चलनिधि प्रबंध के क्षेत्र में अधिक क्रियाशीलता रही है तथा लघु अवधि बाजार पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया। उन्मुक्त ढांचे में बाजार शक्तियों के महत्व में वृद्धि होने के साथ-साथ मौद्रिक नीति के आधारभूत संप्रेषण ढांचे में बदलाव आए हैं उदाहरणार्थ मात्रात्मक परिवर्तनीय कारकों के मुकाबले ब्याज

दरों एवं विदेशीमुद्रा दरों का महत्व बढ़ा है। बाह्य क्षेत्र के खुलने तथा पूंजी प्रवाह से मुद्राप्रसार लक्ष्यबेधन ढ़ांचे पर दबाव बढ़ा। इन घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में मुद्रा नीति ढ़ांचे की समीक्षा की जरूरत महसूस की गई तथा इससे निकले निष्कषों के अनुरूप रिजर्व बैंक ने मुद्रा नीति निर्माण हेतु सन 1998 में "बहुविध संकेतक दृष्टिकोण" को अपनाया।

II. विनियमन और पर्यवेक्षण

10.13 स्वतंत्रता के बाद रिज़र्व बैंक की नियामक और पर्यवेक्षी भूमिका महत्वपूर्ण बन गई तथा सन 1969 में वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीकरण के उपरांत यह भूमिका निरंतर केंद्र बिंदु में रही है। वर्तमान में देश की जटिल वित्तीय प्रणाली, वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंक, वित्तीय संस्थाएं तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जिसका एक महत्वपूर्ण भाग हैं, का नियमन एवं पर्यवेक्षण भिन्न-भिन्न प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है। रिज़र्व बैंक वित्तीय प्रणाली के एक बड़े भाग, जिसमें वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंक, कुछ अन्य वित्तीय संस्थाएं तथा जमाराशि उगाहने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां शामिल हैं, का नियमन और पर्यवेक्षण करता है। प्रारंभिक वर्षों में विकासशील अर्थव्यवस्था की ऋण मांग की पूर्ति करना ही नियमन का उद्देश्य था तथा इस दौर में बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ बनाने हेतु कई सफल उपाय किए गए। तदुपरांत अनिवार्य विलयन एवं समाप्ति द्वारा बैंको के परिचालन को मजबूत करना एवं जमा बीमा योजना के माध्यम से छोटे जमाकर्त्ताओं के धन की सुरक्षा सुनिश्चित करना बैंक के विनियामक और पर्यवेक्षी कार्य का प्राथमिक उद्देश्य बना। सामाजिक नियंत्रण के प्रादुर्भाव के बाद रिजर्व बैंक की विनियामक और पर्यवेक्षी भूमिका में नए युग का सूत्रपात हुआ जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीकरण, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को निदेशित ऋण उपलब्धता तथा प्रशासित ब्याज दर व्यवस्था अस्तित्व में आए। सन 1951 के बाद बैंकिंग प्रणाली में आई उल्लेखनीय प्रगति एवं भौगोलिक विस्तार के बावजूद यह देखा गया कि कई ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र तथा अर्थव्यस्था के कई उच्च प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र बैंकिंग प्रणाली की सेवाओं से वंचित रह गए जिससे बैंकिंग क्षेत्र को सामाजिक नियंत्रण में लाने की आवश्यकता महसूस की गई। राष्ट्रीकरण के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग नेटवर्क का विस्तार हुआ तथा निजी बचत को समेटना संभव हुआ। परंतु इस प्रकार एकत्रित निजी जमाराशि का प्रयोग मुख्यत: सरकार को उधार देने के लिए किया गया तथापि कुछ सीमा तक अबतक उपेक्षित वास्तविक ऋणावस्यकताओं की पूर्ति भी की गई। सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्यों की पूति के लिए रिज़र्व बैंक ने बैंकों के राष्ट्रीकरण का समर्थन किया। इसके कारण संस्थागत प्रबंधन में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए तथा बैंकिंग प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण को सशक्त बनाया गया।

10.14 वित्तीय क्षेत्र के अत्यधिक नियमन एवं दमन से 1970 एवं 1980 के दशकों में वित्तीय प्रणाली में बड़े पैमाने पर अर्थक्षमता एवं अमान्यताओं का जन्म हुआ।1990 के दशक मे लाए गए सुधारों के फलस्वरूप व्यष्टि स्तर उपायों के स्थान पर विवेकपूर्ण नियमन हेतु समष्टि स्तर उपायों का प्रयोग, सांविधिक पूर्वाधिकरण में कटौती, प्रवेश स्तर मानदंडों में ढिलाई तथा बासल नियमों के मद्देनजर जोखिम उन्मुखी पर्यवेक्षण तथा अंतरराष्ट्रीय लेखा मानकों को लागू किया गया।

10.15 वित्तीय प्रणाली का समेकन सुनिश्चित करने और आर्थिक गतिविधि के स्तर को बनाए रखने के लिए नियंत्रण की द्वैधता के कारण युक्तिचालन की सीमित शक्ति के बावजूद रिज़र्व बैंक ने सहकारी बैंकों, विशेषत: शहरी सहकारी बैंकों में सुधार लाने के लिये कदम उठाए हैं। इस दिशा में किए गए विनियामक और पर्यवेक्षी उपायों का उद्देश्य शहरी सहकारी बैंकों को वित्तीय प्रणाली की मुख्यधारा में लाना है। द्विविध नियंत्रण से उत्पन्न होने वाली जटिलताओं के मद्देनजर रिज़र्व बैंक को संकटकाल की स्थितियों में कार्यवाही करने तथा विशेष संस्थापरक विकास कार्ययोजना निर्माण की शक्ति देने के लिए रिज़र्व बैंक और कुछ राज्य सरकारों में समझौते किए गए हैं।

10.16 मार्ग में आनेवाली कठिनाइयों के बावजूद भारत का बैंकिंग क्षेत्र स्वयं को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार ढालने का प्रयास कर रहा है। विश्वस्तरीय श्रेष्ठता हासिल करने के लिए रिजर्व बैंक सुरक्षा और सुदृढ़ता का संवर्द्धन करने के साथ-साथ बैंकिंग क्षेत्र को नवीन प्रौद्योगिकी, संशोधित ऋण जोखिम आगणन, लगातार वित्तीय नवीकरण, बेहतर आंतरिक नियंत्रण और समुचित विधि प्रणाली द्वारा नवीकरण एवं प्रतिस्पर्धा की स्वच्छंदता दी है।

10.17 इस क्षेत्र में विदेशी अनुभव के विपरीत, जहां वित्तीय क्षेत्र सुधारों के परिणामस्वरूप पूर्ववर्त्ती सार्वजनिक वित्तीय मध्यस्थ संस्थाओं का निजीकरण हुआ, भारत में बैंकिंग क्षेत्र सुधार चरणबद्ध तरीके से लागू किए गए। बाजार अनुशासन, जो निजीकरण का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, को लागू करने के लिए सार्वजनकि बैंकों को चरणबध्द तरीके से बाजार से पूंजी उगाहने तथा पूंजी बाजार मे सूचीबद्ध होने की अनुमति दी गई। वाणिज्यिक बैंकों पर मार्च 2007 से बासल द्वितीय समझौते के लागू होने के परिप्रेक्ष्य में पूंजी अभाव को पहचानने तथा उसका मात्रात्मक आकलन करने हेतु पर्यवेक्षी क्षमता का निर्माण करने के लिये उपाय करने आरंभ कर दिए हैं। अंतत:, बैंकिंग क्षेत्र के भविष्य के लिए समेकन, प्रतिस्पर्धा एवं जोखिम प्रबंध के महत्व को ध्यान मे रख कर रिजर्व बैंक लगातार निगम सुशासन एवं वित्तीय समावेषन पर बल दे रहा है।

10.18 भुगतान और निपटान प्रणाली के महत्व को समझ कर सुचारु अंतरबैंक लेनदेन सुनिश्चित करने हेतु मार्च 2004 में तत्काल सकल भुगतान प्रणाली (आरटीजीएस) शुरू की गई। रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए उपायों के प्रति वित्तीय क्षेत्र के सकारात्मक प्रतिसाद एवं बैंकिंग प्रणाली की परिपक्वता के मद्देनज़र रिज़र्व बैंक ने खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली से अपना हाथ खींच लिया है तथा तत्संबंधी क्रियाकलापों पर केवल नियामक निगरानी रखने का नीतिगत निर्णय किया है।

10.19 बेहतर रखरखाव, उत्तम ग्राहकसेवा तथा सर्वांगीण प्रणालीगत निपुणता प्राप्त करने में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित उपायों की क्षमता के मद्देनजर रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन में प्राचेतस् की भूमिका निभाई है और बैंकों एवं अन्य वित्तीय मध्यस्थों द्वारा अंगीकृत कई नवीन प्रक्रियाएं तथा उनके द्वारा प्रदत्त नए उत्पाद एवं सेवाएं सूचना प्रौद्योगिकी पर निर्भर हैं।

III. वित्तीय बाज़ार की गतिविधियां

10.20 संचरण तंत्र और मौद्रिक नीति के परिचालन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण अन्य केंद्रीय बैंकों की भांति रिज़र्व बैंक ने भी वित्तीय बाज़ारों विशेषतः मुद्रा, सरकारी प्रतिभूति और विदेशी मुद्रा बाज़ारों पर विशेष ध्यान दिया है। रिज़र्व बैंक अल्पावधि ऋणप्रवाह को संतुलित करने के लिए मुद्रा बाज़ार में एवं शेष विश्व के साथ अनुबद्धताओं के कारण विदेशी मुद्रा बाज़ार में हस्तक्षेप करता है। इसी प्रकार संपूर्ण ऋण बाज़ार में बाज़ार लिखतों के मूल्यन में मानक के रूप में प्रयोग किए जाने के कारण राजकीय प्रतिभूति बाज़ार महत्वपूर्ण बन गया है।

10.21 भूतकाल में सांविधिक प्रावधानों, विनियमन और नीतियों द्वारा बहुविध नियंत्रित एवं दमित वित्तीय बाज़ारों में दक्षता, स्थिरता और स्वास्थ्य का विकास करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा सजग प्रयास किए जाने की आवश्यकता बढ़ी।अनेक कारण, जिनमें प्रशासित ब्याजदर, निदेशित ऋणप्रवाह, कमजोर बैंकिंग ढांचा और समुचित लेखांकन एवं जोखिम प्रबंध प्रणालियों का अभाव प्रमुख हैं, सन 1990 तक बाज़ार विकास में बाधा बने रहे। सुधार प्रक्रिया के शुरुआती दौर में ही यह स्पष्ट हो गया कि प्रतिबंधों के निराकरण मात्र से सक्षम वित्तीय बाज़ारों का स्वत: विकास नहीं होगा। इसको लक्षित करके रिजर्व बैंक ने आवश्यक संस्थागत परिवर्तन एवं बाजार की व्यष्टिगत संरचना में परिवर्तन लाकर बाजारों के विकास की प्रक्रिया को सुगम बनाया। तत्संबंधी कठिनाइयों का निराकरण करने तथा बाजार विकास में सहायक पर्यावरण बनाने के लिये रिजर्व बैंक ने कई कदम उठाए। समुचित प्रणालियों और प्रक्रियाओं के विकास, प्रौद्योगिकी एवं बाजार व्यवहार ने सुधारों की गति का निर्धारण किया। भारत के अनुभव से इस बात का संकेत मिलता है कि वित्तीय बाज़ार का विकास एक जटिल प्रक्रिया है तथा यह सुदृढ़ वित्तीय संस्थाँओं की उपस्थिति, अनुकूल कानूनी ढांचे, तकनीकी सहायता के स्तर एवं मैत्रीपूर्ण पर्यावरण जैसे कई कारकों पर निर्भर करती है।

10.22 भारत में रिज़र्व बैंक ने बाज़ार सुधार की एक नपी-तुली एवं सुअनुकूल नीति का पालन किया। आज बाजार का आकार, गहराई एवं क्रियाशीलता बहुत विकसित हो गए हैं जिससे मौद्रिक प्राधिकारी द्वारा मौद्रिक नीति के अप्रत्यक्ष उपायों के लचीले प्रयोग की राह आसान हुई है। इससे रिज़र्व बैंक का भारत सरकार एवं वित्तबाजार के अन्य नियामकों के साथ सामंजस्य बढ़ा है तथा भारत में वित्तीय बाज़ारों के सुचारु विकास में सहायता मिली है। हालांकि अब तक किए गए उपायों से गहन, व्यापक एवं द्रव मुद्रा एवं राजकीय प्रतिभूति बाजारों का विकास हुआ है तथापि सुधार की प्रक्रिया अभी जारी है। भारतीय वित्तीय बाज़ारों एवं वैश्विक बाज़ारों में आए एकीकरण के परिप्रेक्ष्य मे डोमिनो प्रभाव का असर कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम व्यवहार के साथ सामंजस्य बनाने हेतु रिजर्व बैंक परिचालन प्रक्रियाओं और उपकरणों तथा वित्तीय संस्थाँओं, बाज़ारों और वित्तीय इंफ्रास्ट्रक्चर में लगतार परिष्कार कर रहा है।

10.23 पिछले सात दशकों के दौरान बाजार की गतिविधियों की समीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि बैंकिंग क्षेत्र , मौद्रिक नीति और वित्तीय बाज़ारों के सुधारों में घनिष्ठ संबंध है तथा सुधार प्रक्रिया का पूरा लाभ उठाने व विध्वंसात्मक रुकावटों से बचने के लिए यह आवश्यक है कि इनका साथ-साथ विकास किया जाए। वित्तीय बाज़ारों ने बैंकों को और वित्तीय संस्थाओं को अपने चलनिधि और खजाना परिचालनों का अच्छा प्रबंध करने में सक्षम बनाया। वित्तीय बाजारों के विकास से न सिर्फ मौद्रिक नीति संचरण प्रणाली सुदृढ़ बनी है बल्कि इससे मौद्रिक नीति के केंद्रबिंदु को क्रमश: ऋण आबंटन से मुद्रास्फीति लक्ष्य तथा अंत में बहुसंकेतक दृष्टिकोण पर स्थानांतरित किया है।

IV. मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों का पारस्परिक प्रभाव

10.24 स्वतंत्रता के बाद, जैसा कि विकासशील देशों की विशिष्टता है, मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों की पारस्परिक अंतरक्रिया में विशिष्ट पड़ाव आए तथा मौद्रिक नीति से अपेक्षा की गई कि वह विस्तारमुखी राजकोषीय नीति के साथ सामंजस्य बनाए। भारी सार्वजनिक निवेश की आवश्यकता वाले योजनाबध्द विकास के युग की शुरुआत के बाद 1980 के दशक के अंत तक राजकोषीय घाटे, मौद्रिक नीति एवं मुद्रास्फीति का आपसी संबंध स्पष्ट हो गया तथा यह ज्ञात हुआ कि राजकोषीय घाटे के मुद्रीकरण से उत्पन्न अत्यधिक मुद्राविस्तार से मुद्रास्फीति को बल मिलता है।

10.25 मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों की पारस्परिक अंतरक्रिया का इतिहास एवं रिजर्व बैंक के तत्संबंधी अनुभव से कई उपयोगी निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। रिजर्व बैंक को राजकोषीय नीति के विकास में आए विभिन्न चरणों जैसे राजकोषीय तटस्थता से राजकोषीय दबदबा एवं अंतत: राजकोषीय समेकन तक की यात्रा के दौरान रिजर्व बैंक के समक्ष कई चुनौतियां आईं तथा उसने मूल्य एवं वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए अपने उपकरणों एवं परिचालन प्रक्रियाओं में समुचित परिमार्जन किया। सन् 1991 के आर्थिक संकट ने मौद्रिक नीति पर राजकोषीय नीति की प्रधानता से उत्पन्न समस्याओं के शीघ्र समाधान की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। अत: मौद्रिक एवं राजकोषीय प्राधिकारियों में आपसी समझ बढ़ाने वाला एक ऐतिहासिक समझौता हुआ जिसके अनुसार भारत सरकार एवं रिजर्व बैंक के बीच राजकोषीय घाटे के स्वत: मुद्रीकरण की रीति को समाप्त करने पर सहमति बनी।

10.26 भारत में सार्वजनिक ऋण के ऊंचे स्तर , भारी राजकोषीय घाटे की निरंतरता एवं राजकोषीय नीति की प्रधानता के परिदृश्य में मौद्रिक नीति और ऋण प्रबंध संबंधी उत्तरदायित्वों के बंटवारे पर चर्चा को जन्म हुआ। सैध्दांतिक दृष्टिकोण से विचार करें तो यह प्रतीत होता है कि इन दो उत्तरदायित्वों के बंटवारे से मौद्रिक नीति निर्माण एवं ऋण प्रबंध की दक्षताओं में वृद्धि होगी तथापि भारतीय परिस्थितियों में मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों की पारस्परिक अंतरक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। प्रथम, भारत में रिजर्व बैंक एवं भारत सरकार की संयुक्त नीति पहल से मौद्रिक नीति निर्माण एवं ऋण प्रबंध के कार्यों मे उल्लेखनीय समन्वय संभव हुआ है। एक ओर राजकोषीय अनुशासन एवं कम होते हुए राजकोषीय घाटे के स्वत: मुद्रीकरण से मौद्रिक नीति को पर्याप्त स्वायत्तता: मिली है वहीं दूसरी ओर प्राचेतस ऋण प्रबंध तकनीकों से मौद्रिक नीति का परिचालन, विशेषत: परोक्ष तरीकों के प्रयोग द्वारा, सुकर बना है। वास्तव में रिजर्व बैंक के पोर्टफोलियो मे उपलब्ध प्रतिभूतियों के बड़े हिस्से का प्रयोग पूंजी प्रवाह के मौद्रिक प्रभावों को निरस्त करने में किया जाता है। दूसरे, लंबे समय तक राजकीय ऋण प्रबंधन से प्राप्त अनुभव से रिजर्व बैंक ने ऐसी दक्षताएं प्राप्त कीं जिनसे वह मौद्रिक नीति निर्माण एवं ऋण प्रबंध के दोहरे दायित्व को सफलतापूर्वक निभा सका तथा साथ ही सरकार एवं बाजारों की प्रत्याशा पर खरा उतरा। तृतीयत:, आगामी कुछ वर्षों में भारत की राजकोषीय प्रणाली में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे- क) केंद्रीय सरकार राज्यों के लिए संसाधन जुटाने के मध्यस्थ का कार्य करना बंद कर देगी तथा राज्यों को स्वयं प्रत्यक्ष तौर पर बाजार से पूंजी जुटानी पडेगी (बारहवें वित्तायोग की अनुशंसाओं के अनुसार); ख) अप्रैल 1, 2006 से रिजर्व बैंक प्राथमिक बाजार से राजकीय प्रतिभूतियों की खरीददारी बंद कर देगा जिससे ब्याज दर अपेक्षाओं पर असर पड़ेगा; ग) बैंकिंग विनियमन अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन के प्रभाव में आने पर आरक्षित अनुपातों में लचीलापन लाया जा सकेगा तथा इससे बैंको द्वारा राजकीय प्रतिभूतियों में किए जाने वाले आबद्ध निवेश में कमी आएगी। उपर्युक्त चिंताओं के मद्देनज़र इस बात की आवश्यकता है इस विषय में व्यावहारिक दृष्टिकोण उभर कर सामने आए ताकि वित्तबाजारों का सुचारु संचालन सुनिश्चित किया जा सके।

10.27 मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों की पारस्परिक अंतरक्रिया के एक महत्वपूर्ण पहलू का संबंध केंद्रीय बैंकों की स्वायत्तता से है। संसार भर में जहां विकासप्रक्रिया के दौरान केंद्रीय बैंकों के कार्यकलाप का दायरा विस्तृत हुआ है वहीं केंद्रीय बैंकों की स्वायत्तता के प्रति रुझान में कई रुचिकर मोड़ आए है। भारतीय संदर्भ में केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता के दो संबंधित पहलुओं पर जोर दिया गया है। पहले का संबंध मौद्रिक नीति पर राजकोषीय नीति की प्रधानता एवं सांविधिक प्रावधानों, जिनके अनुसार रिजर्व बैंक के शीर्ष पदाधिकारियों की नियुक्ति सहित निदेशन की शक्तियां भारत सरकार में निहित हैं, से है। विकास चरण में सरकार के बढ़े हुए बाजार ऋण एवं रिजर्व बैंक द्वारा उसके मुद्रीकरण से मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों के पारस्परिक संबंधों पर प्रश्न उठे। मौद्रिक नीति को, विशेषत: 1980 के दशक में, लगातार बढ़ते हुए राजकोषीय घाटे के मुद्रीकरण से उत्पन्न रिजर्व मुद्रा के मुद्रास्फीतिजनक प्रभावों को कम करने के लिए बाजार से रिज़र्व मुद्रा को सोखना पड़ा। तथापि हाल के वर्षों में सन् 1997 में राजकोषीय घाटे के स्वत: मुद्रीकरण की सुविधा की समाप्ति तथा सन् 2003 में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध अधिनियम को पारित करना मौद्रिक नीति को राजकोषीय नीति के मुद्रास्फीतिकारी प्रभावों से रक्षा करने तथा स्वस्थ मौद्रिक एवं राजकोषीय संबंध सुनिश्चित करने की दिशा में उठाए गए दो महत्वपूर्ण कदम हैं।

10.28 मौद्रिक एवं राजकोषीय संबंधों को भविष्य में नई दिशा देने की क्षमता रखने वाले एक महत्वपूर्ण मुद्दे का संज्ञान लेना आवश्यक है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार अप्रैल 1, 2006 से रिजर्व बैंक प्राथमिक बाजार से राजकीय प्रतिभूतियों की खरीददारी बंद कर देगा। इस कदम से जहां मौद्रिक प्राधिकारी को अधिक कार्यकारी स्वायत्तता प्राप्त होगी वहीं ब्याजदरों की सख्त निगरानी एवं बाजार में मौद्रिक नीति के संकेतों के संचरण हेतु अन्य उपकरणों को अधिक प्रभावी बनाने की उसकी जिम्मेदारी में वृद्धि होगी।

V. रिज़र्व बैंक का तुलन पत्र

10.29 रिजर्व बैंक के तुलनपत्र की प्रकृति कई मायनों मे अद्वितीय है और उसमें एक केंद्रीय बैंक के तुलनपत्र में मिलने वाली सारी

विचित्रताएं वर्तमान हैं तथा यह परिवर्तनशील परिस्थितियों में बैंक द्वारा निभाई गई विभिन्न जिम्मेदारियों के वित्तीय परिणामों को परिलक्षित करता है। पिछले सात दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था में आए परिवर्तनों के साथ-साथ रिजर्व बैंक के तुलनपत्र में भी मूलभूत बदलाव आए हैं। शुरुआती वर्षों में नोट निर्गम की प्रधानता के बाद योजनाबध्द विकास के युग के प्रारंभ में राजकोषीय प्रबंध पर अधिक बल एवं अंत में विकासपरक भूमिका सहित राजकोषीय प्रबंध की सर्वोच्चता इत्यादि विभिन्न सोपानों को पार करके 1990 के दशक में बैंक के तुलनपत्र में अंतरराष्ट्रीय आस्तियों की प्रधानता, राजकीय प्रतिभूतियों में निवेश में भारी गिरावट तथा आरक्षी अनुपातों मे कमी जैसे परिवर्तन देखे गए। रिजर्व बैंक के तुलनपत्र में संरचनात्मक बदलावों, विशेषकर विदेशी मुद्रा आस्तियों से होने वाली आय में सापेक्ष कमी, विश्वबाजार में विदेशी मुद्रा विनिमय एवं ब्याज दरों की अस्थिरता, मूल्यांकन की मार्क टु मार्केट पध्दति का प्रयोग तथा अभिमूल्यन लाभ का विषम ट्रीटमेंट, से जोखिम प्रोफाइल का महत्व बढ़ा है। ऐसी अवस्था में प्रभावी और पर्याप्त जोखिम प्रबंध उपाय करने की आवश्यकता है। अत:एव रिजर्व बैंक ने न केवल घरेलू और विदेशी आस्तियों के विवेकपूर्ण पुनर्मूल्यन हेतु अनेक से उपाय किए बल्कि नीति का लचीलापन बनाए रखने की शक्ति अर्जित करने और जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए आपदाकोष के रूप में पर्याप्त कुशन का निर्माण किया।

10.30 एक केंद्रीय बैंक के तुलन पत्र के आकार की बृहद्ता सुदृढ़ समष्टि अर्थव्यवस्था की सूचक नहीं है। इसके विपरीत पारदर्शी तुलन पत्र केंद्रीय बैंक की साख बढ़ाता है और मौद्रिक नीति के परिचालन में प्रभावकारिता में वृद्धि करता है। शुरुआत से ही रिजर्व बैंक की विशेषता रही है कि निर्गम विभाग को और बैंकिंग विभाग के लिए अलग-अलग तुलन पत्र बनाए जाते हैं जिससे मौद्रिक नीति के परिचालन में पारदर्शिता आती है। तुलन पत्र के आंकड़े नियमित रूप से साप्ताहिक अंतराल पर सार्वजनिक रुप से प्रकाशित किए जाते हैं। उसी प्रकार से, कुछ अग्रणी केंद्रीय बैंकों की तरह रिज़र्व बैंक भी स्थूल मुद्रा के आंकड़े पाक्षिक अंतराल पर एवं विदेशी मुद्रा भंडार के आंकडे साप्ताहिक अंतरालों पर समेकित एवं प्रकाशित करता है।

VI. संप्रेषण नीति

10.31 बदलती घरेलू और बाह्य आवश्यकताओं के मद्देनजर यथोचित नीतिगत अनुक्रियाओं द्वारा समय के साथ-साथ रिजर्व बैंक में कार्यात्मक एवं संरचनात्मक बदलाव आए हैं।बैंक की स्पष्ट संप्रेषण नीति के मद्देनजर पारदर्शिता पर पुन: ध्यान केंद्रित किया गया है जो इसे विभिन्न प्रकार की सूचनाएं नियमित रूप से जनता को देने में सक्षम बनाती हैं। सन् 1991 तक संप्रेषण नीति का जोर प्रेस के साथ स्वस्थ वार्ता के माध्यम से केंद्रीय बैंकिंग से जुड़े अपने उत्तरदायित्वों की पारदर्शी तरीके से पूर्ति का प्रचार करने पर था। हाल के वर्षों में बैंक ऐसी सुविचारित संप्रेषण नीति पर जोर दे रहा है जिसमें पारदर्शिता , सामयिकता और विश्वसनीयता के गुण हैं। बैंक की संप्रेषण नीति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बैंक अपनी नीतियों और उनके निर्माण के तौरतरीकों का व्यापक प्रचार करता है। सूचना के संप्रेषण के लिए रिजर्व बैंक अपनी वेबसाइट का खूब प्रयोग करता है। रिजर्व बैंक के प्रकाशन, जो वेबसाइट पर भी उपलब्ध होते हैं, आंकड़ों, अनुसांधान अध्ययनों एवं रिजर्व बैंक के शीर्ष पदाधिकारियों के उद्बोधनों की मदद से नीतिगत निर्णयों के औचित्य पर प्रकाश डालते हैं। यह एक दिलचस्प बात है कि हाल के वर्षों में रिजर्व बैंक महत्वपूर्ण विषयों पर नियमित रूप से अभिमत आमंत्रित करता है।

VII. मूल्यांकन

10.32 न केवल भारत बल्कि सारे संसार में केंद्रीय बैंकिंग के विकास से यह बात परिलक्षित होती है कि केंद्रीय बैंक बदलते आर्थिक पर्यावरण के साथ लगातार सफलतापूर्वक सामंजस्य बनाते रहे हैं। केंद्रीय बैंकों एवं वित्तीय मध्यस्थ संस्थाओं के पारस्परिक व्यवहार से यह स्पष्ट होता है सामान्य जन का कल्याण ही इसका एकमात्र लक्ष्य है। केंद्रीय बैंक सावधानीपूर्वक घरेलू और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में बाजार प्रवृत्तियों तथा अन्य परिवर्तनशीलों में मात्रात्मक परिवर्तन एवं उसकी गति पर के उतार-चढ़ाव पर निगरानी बनाए रखते है। इन संकेतकों में निहित सूचना एवं बाज़ार सहभागियों की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया से मूल्य एवं वित्तीय सुरक्षा करने के लिए यथोचित मौद्रिक नीति के निर्माण एवं परिमार्जन में सहायता मिलती है। पिछले सौ वर्षों मे, जिस अवधि में अधिकांश केंद्रीय बैंको की स्थापना हुई, बाजार, मौद्रिक नीति के उद्देश्यों एवं साधनों मे बदलाव आया है।इन बदलावों के बावजूद केंद्रीय बैंकों ने स्वयं को वित्तीय प्रणाली के महत्वपूर्ण और स्थायी घटक के रूप में स्थापित किया है।

10.33 रिज़र्व बैंक, जो अपने अस्तित्व के सत्तर साल पूरे कर रहा है, ने स्थायित्व के साथ वृद्धि के अपने उद्देश्य युगल को काफी हद तक, विशेषत सुधारोत्तर काल में, पूरा करने में सफल रहा है। मौद्रिक नीति के परिचालन में क्रमिक बदलाव की नपी तुली रणनीति, पूंजी प्रवाह का प्रबंध, प्रतिस्पर्धात्मक बाजार के विकास तथा स्वस्थ वित्तीय प्रणाली का अस्तित्व सुनिश्चित करने के साथ-साथ विकासपरक भूमिका के निर्वहन के स्पष्ट परिणाम आए हैं। अपनी प्रभावकारी नीतियों से वैश्वीकरण से उत्पन्न चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करके रिज़र्व बैंक नें अंतरराष्ट्रीय सम्मान अर्जित किया है। रिज़र्व

बैंक नें अपने परिचालन को पारदर्शी बनाया तथा व्यापक परास की श्रोता श्रेणी को ध्यान में रखकर एक संप्रेषण नीति का निर्माण किया। सारांश में यह कहा जा सकता है कि भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद रिज़र्व बैंक स्थायित्वपूर्ण समष्टि आर्थिक प्रबंधन एवं वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित करते हुए निरंतर प्रगति के पथ पर गतिशील है। ज्यों-ज्यों अर्थव्यवस्था उत्तरोत्तर अधिक मुक्त एवं वैश्वीकृत होती जाएगी त्यों-त्यों रिजर्व बैंक की भूमिका में और बदलाव आएगा तथा बैंक को स्वयं को इन उभरती हुई चुौतियों का सामना करने के लिये लगातार सुसज्जित करना पड़ेगा।